20 Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/3013/II/15

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
द्वारा आज दि. 07/09/15 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. दीपक कुमार पुत्र श्री शंकरलाल बरानियाँ, आयु 33 वर्ष,
2. सुधीर कुमार पुत्र श्री शंकरलाल बरानियाँ, आयु 30 वर्ष, दोनों निवासी वार्ड नं.11 लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0

-- आवेदकगण

बनाम

1. प्रकाश बरानियाँ पुत्र स्व. श्री दुर्गा प्रसाद बरानियाँ,
2. मुस. मालती वैवा स्व. श्री दुर्गा प्रसाद बरानियाँ, दोनों निवासी वार्ड नं.11 लवकुशनगर, जिला छतरपुर म0प्र0
3. मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान
07/9/15
Received
7/9/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 आदेश दिनांक 07.04.2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर के रा0 प्र0क्र0 20/अ-3/13-14 से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

शाखा प्रभारी (रा.नं.)
कार्यालय महाधिवक्ता

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 2567/ 1/1 एवं 2567/ 1/2 रकवा 1.317 हैक्टेयर एवं 1.317 हैक्टेयर भूमि स्थित मौजा लवकुशनगर में आवेदकगणों के बराबर स्वामित्व की कृषि भूमि है। अवलोकन **अनेक्चर-पी** - 5

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3013–दो/2015 **जिला–छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–10–2015	प्रकरण में आवेदक अभिभाषक बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभिकभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य आपसी सहमति से रजिस्टर्ड बटवारा हुआ था तथा सभी बटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज थे किन्तु अनावेदक द्वारा नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र दिनांक–24.2.2014 प्रस्तुत कर बिना पूर्व सूचना के एवं बिना बताए नक्शा तरमीम कराया जाकर आवेदक के कब्जे बाली एवं बटवारे में प्राप्त भूमि अपने हिस्से में समाहित करवा ली । इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है जिन्हें यहां दुहराया नही गया है । किन्तु बिचार में लिया गया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के समर्थन में निगरानी मेमों के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शा तरमीम की जो कार्यवाही अनावेदक के आवेदन दिनांक–24.2.14 के संदर्भ में की गयी है, जिसमें आवेदक गणों को सूचना पत्र जारी होना नहीं पाया गया है, सिर्फ अनावेदगणो को सूचना पत्र दिनांक–19.07.14 जारी किया जाना पाया गया है, इसी प्रकार पंचनामा जो दिनांक–22.7.14 को तैयार किया गया है, उसमें भी अनावेदकगण के हस्ताक्षर है, आवेदक गण के हस्ताक्षर नहीं है, और न ही उसमें यह अंकित है कि पंचनामा पर आवेदक गण द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गये या हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया है । इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक–15.09.2014 में भी आवेदक गणों की उपस्थिति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । तहसीलदार के आदेश दिनांक–7.4.2015 का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित किया गया है, कि इश्तहार जारी किया गया कोई आपत्ति नहीं आयी । प्रकरण में इश्तहार की प्रति भी अवलोकित नहीं हुई । उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है, कि प्रकरण में नक्शा तरमीम की जो कार्यवाही की गयी है, वह एक पक्षीय एवं बिना सूचना दिए तथा बिना बताये की जाना परिलक्षित हो रही है । यह कार्यवाही विधिक प्रकियाओं का उल्लंघन होकर संहिता में निहित प्रावधानों के विपरीत तो है ही साथ ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश दिनांक–7.5.15 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने तथा नैतिक एवं न्यायिक प्रकिया के अनुरूप न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । तहसीलदार का उक्त	

आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में विधिवत समस्त हितवद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके समक्ष समस्त हितबद्ध व्यक्तियों की सहमति से उनके कब्जे के अनुसार अभिलेखीय तथ्यों को सामने रखते हुए पुनः नक्शा तरमीम की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण की जावे । उक्त निर्देशो के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

सदस्य